भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ/2012-13/41 2 जुलाई 2012
बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.14/21.04.018/2012-13 11 आषाढ़ 1934 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखे पर टिप्पणियाँ

कृपया 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 16/21.04.018/2011-12 देखें जिसमें वित्तीय विवरणों के `लेखे पर टिप्पणियों' में प्रकटीकरणों से संबंधित विषय पर 30 जून 2011 तक बैंकों को जारी सभी परिचालनगत अनुदेशों को समेकित किया गया था। अब इस मास्टर परिपत्र को यथोचित रूप से अद्यतन कर 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों को शामिल किया गया है। यह मास्टर परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय पर सभी प्रासंगिक अनुदेशों को समेकित किया गया है। साथ ही, `मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे का कार्यान्वयन' में निहित प्रकटीकरण अपेक्षाएँ लागू होंगी।

3. इसके अलावा, 2 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 द्वारा भारत में बासल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। लागू होने पर इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाएँ इस मास्टर परिपत्र में समेकित अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।
भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12 वीं और 13 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई -400 001
दूरभाष: 022-2266 1602, 2260 1000 फैक्स: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th and 13th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai- 400 001
Tel: 022-2266 1602, 2260 1000 Fax: 022-2270 5670,2270 5671, 2270 5691, 2270 5692

हिंदी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

उद्देश्य

वित्तीय विवरणों के 'लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरण के विषय में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश ।

अधिक्रमण किए गए पिछले दिशानिर्देश

1 जुलाई 2011 के बैंपविवि. बीपी.बीसी. सं. 16/21.04.018/2011-12 द्वारा जारी 'वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखे पर टिप्पणियां' संबंधी मास्टर परिपत्र ।

प्रयोज्यता

सभी वाणिज्य बैंकों पर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

संरचना

1	प्रस्तावना
2.1	प्रस्तुति
2.2	न्यूनतम प्रकटीकरण
2.3	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश
2.4	प्रकटीकरण की अपेक्षाएं
3.1	पूंजी
3.2	निवेश
3.2.1	रिपो लेनदेन
3.2.2	एसएलआर से इतर निवेश संविभाग
3.2.3	परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण
3.3	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज़)

3.3.1	वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)
3.3.2	एक्सचेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़
3.3.3	डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम निवेश संबंधी प्रकटीकरण
3.4	आस्ति गुणवत्ता
3.4.1	अनर्जक आस्ति
3.4.2	पुनर्रचित खातों के विवरण
3.4.3	आस्तियों की पुनर्रचना हेतु प्रतिभूतीकरण/पुनर्रचना कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का ब्योरा
3.4.4	खरीदी/बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
3.4.5	मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान
3.5	कारोबारी अनुपात
3.6	आस्ति-देयता प्रबंधन - आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप
3.7	एक्सपोज़र
3.7.1	स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र
3.7.2	पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र
3.7.3	जोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी एक्सपोज़र
3.7.4	बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के उल्लंघन के ब्योरे
3.7.5	बेज़मानती अग्रिम
3.8	रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण
4.	लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'लेखे पर टिप्पणियां' के लिए प्रकटीकरण मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं
4.1	लेखा मानक 5 - पूर्व अवधि मदों का चालू वर्ष के निवल लाभ या हानि पर प्रभाव तथा लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन
4.2	लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण
4.3	लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ
4.4	लेखा मानक 17 - खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग
4.5	लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
4.6	लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण
4.7	लेखा मानक 22 - आय पर करों के संबंध में लेखा पद्धति

4.8	लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के लिए लेखा पद्धति
4.9	लेखा मानक 24 - परिचालन समाप्त करना
4.10	लेखा मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
4.11	अन्य लेखा मानक
5	अतिरिक्त प्रकटीकरण
5.1	प्रावधान और आकस्मिकताएं
5.2	अस्थायी प्रावधान
5.3	आरक्षित निधि से आहरण द्वारा कमी
5.4	शिकायतों का प्रकटीकरण
5.5	बैंकों द्वारा जारी आश्वासन पत्रों का प्रकटीकरण
5.6	प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात
5.7	बैंकएश्योरेंस कारोबार
5.8	जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़रों और एनपीए का संकेंद्रण
5.9	क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां
5.10	अनर्जक आस्तियों में घटबढ़
5.11	विदेश स्थित आस्तियाँ, एनपीए और आय
5.12	प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी
5.13	अपरिशोधित पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं
5.14	पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण
5.15	प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण
5.16	क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
अनुबंध	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

वित्तीय विवरणों का उपयोग करनेवालों को आर्थिक निर्णय लेने के लिए बैंक की वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन के संबंध में सूचना की आवश्यकता होती है। उन्हें उसकी चलनिधि और शोधक्षमता में, तुलन पत्र में प्रदर्शित आस्तियों और देयताओं तथा तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों से संबंधित जोखिम में रुचि होती है। पूरे और समग्र प्रकटीकरण के लिए कुछ अति उपयोगी सूचना वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी जाती है या वह सिर्फ उनमें ही दी जा सकती है। टिप्पणियों और अनुपूरक सूचना का उपयोग ऐसी कुछ मदों को स्पष्ट करने तथा उन्हें प्रलेखित करने में किया जाता है जिन्हें या तो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है या जो अन्यथा रिपोर्टिंग संस्था की वित्तीय स्थिति और कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं । हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में बाजार अनुशासन के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया गया है। तथापि, बाजार अनुशासन तभी काम करता है, यदि बाजार के प्रतिभागियों को समय पर भरोसेमंद सूचना मिले जिससे वे बैंकों की गतिविधियों और इन गतिविधियों में निहित जोखिमों का आकलन कर सकते हैं।बाजार अनुशासन बनाने के अनेक लाभ हो सकते हैं। बासल II के अंतर्गत बाजार अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उसके तीन स्तंभों में से इसे एक माना गया है ।

2.1 प्रस्तुति

एकरूपता बनाये रखने के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश' तथा 'लेखे पर टिप्पणियां' क्रमश: अनुसूची 17 और अनुसूची 18 में दर्शायी जाएं ।

2.2 न्यूनतम प्रकटीकरण

कम-से-कम, परिपत्र में दी गयी मदें 'लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकट की जानी चाहिए । बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि प्रकटीकरण महत्वपूर्ण हों और बैंक की वित्तीय स्थिति तथा कार्यनिष्पादन को समझने में सहायक हों, तो परिपत्र में की गयी न्यूनतम अपेक्षा के बजाय वे अधिक व्यापक प्रकटीकरण करें। सूची में वर्णित प्रकटीकरण का उद्देश्य संबंधित विधान या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अंतर्गत अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं को बदलना नहीं, अपितु उन्हें परिपूर्ण बनाना है । जहां कहीं संगत हो, बैंक को यथा लागू इस प्रकार की अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ।

2.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

बैंकों को चाहिए कि वे अपने वित्तीय विवरणों में लेखे पर टिप्पणियों के साथ परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में लेखांकन नीतियां एक स्थान पर प्रकट करें (अनुसूची 17 में)। सांकेतिक सूची में निम्नलिखित शामिल हैं - लेखांकन का आधार, लेनदेन जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल हैं, निवेश-वर्गीकरण, मूल्यांकन आदि, अग्रिम और उनके संबंध में प्रावधान, अचल आस्तियां और मूल्यह्रास, राजस्व निर्धारण, कर्मचारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, निवल लाभ, आदि ।

2.4 प्रकटीकरण की अपेक्षाएं

बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में प्रकटीकरण की कुछ अपेक्षाएं विकसित की हैं जिससे बाजार के प्रतिभागियों को पूँजी पर्याप्तता, जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम आकलन की प्रक्रिया तथा मुख्य व्यापारिक मापदंडों का आकलन करने का अवसर प्राप्त होता है जो सतत और समझने योग्य ऐसा प्रकटीकरण ढांचा प्रदान करते हैं जिससे तुलनीयता में वृद्धि होती है। बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के संबंध में जारी किये गये एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1(एएस I) का अनुपालन करना भी अपेक्षित है। बैंकों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे में संशोधन तथा "लेखे पर टिप्पणियां" में किये जानेवाले प्रकटीकरण का क्षेत्र बढ़ाने से प्रकटीकरण में वृद्धि हुई है । तुलन पत्र की 16 विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त बैंकों को 'लेखे पर टिप्पणियां' में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

3.1 पूंजी

(राशि करोड़ रुपयों में)

	विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
i)	सीआरएआर (%)		
ii)	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)		
iii)	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)		
iv)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत		
v) vi)	टियर II पूंजी के रूप में गौण ऋण की राशि* आइपीडीआई निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि		
vii)	उच्चतर टियर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि**		

*टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए मुख्यालय से लिए गए उधारों के जरिए गौण ऋण की कुल राशि का प्रकटीकरण तुलनपत्र में 'मुख्यालय से विदेशी में मुद्रा में लिए गए दीर्घकालिक उधारों के रूप में गौण ऋण' शीर्ष के अंतर्गत किया जाए।

**तुलनपत्र में 'विदेशी मुद्रा में मुख्यालय से लिए उधारों के रू प में जुटाई गई उच्चतर टियर II पूंजी' शीर्ष के अंतर्गत मुख्यालय से लिए उधारों की कुल पात्र राशि को प्रकट किया जाए ।

3.2 निवेश

(राशि करोड़ रुपयों में)

विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(1) निवेशों का मूल्य (i) निवेशों का सकल मूल्य (क) भारत में (ख) भारत के बाहर (ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (क) भारत में (ख) भारत के बाहर		
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़ (i) अथ शेष (ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये / प्रतिलेखन किये आवश्यकता से अधिक प्रावधान (iv) इति शेष		

3.2.1 **रिपो लेनदेन** (अंकित मूल्य में)

(राशि करोड़ रुपये में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	*वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया*	*वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया*	*31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया*
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां i)सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ				
रिवर्स रिपो के अंतर्गत				

खरीदी गई प्रतिभूतियां i)सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ				

3.2.2 एसएलआर से इतर निवेश संविभाग

i) एसएलआर से इतर निवेशों का निर्गमकर्ता संघटन

(राशि करोड़ रुपये में)

सं.	*निर्गमकर्ता*	*राशि*	*निजी प्लेसमेंट की राशि*	*'निवेश श्रेणी से नीचे' प्रतिभूतियों की राशि*	*'अनिर्धारित' प्रतिभूतियों की राशि*	*'गैर-सूचीबद्ध 'प्रतिभूतियों' की राशि*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम					
(ii)	वित्तीय संस्थाएं					
(iii)	बैंक					
(iv)	निजी कार्पोरेट					
(v)	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उपक्रम					
(vi)	अन्य					
(vii)	मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	जोड़*					

टिप्पणी : (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड़ तुलन पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ से मेल खाना चाहिए :

क) शेयर
ख) डिबेंचर और बांड
ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम
घ) अन्य

(2) ऊपर स्तंभ 4, 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत सूचित राशि एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती है ।

ii) अनर्जक एसएलआर से इतर निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	*राशि*
अथ शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	
इति शेष	
कुल धारित प्रावधान	

3.2.3 परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण

यदि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो तो बैंकों को एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बाजार मूल्य का प्रकटीकरण करना चाहिए और बाजार मूल्य की तुलना में अतिरिक्त बही मूल्य को दर्शाना चाहिए जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण बैंकों के लेखा परीक्षित वार्षिक विवरणों के लेखे पर टिप्पणियां के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है। बैंकों को लेखा वर्ष के प्रारंभ में अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से जिन प्रतिभूतियों का एकमुश्त अंतरण करने तथा उन्हें घोषित खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को बेचने की अनुमति दी गई है उन्हें उपर्युक्त परिपत्र के अंतर्गत निर्धारित 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर रखा जाएगा।

3.3 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

3.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i) अदला-बदली करारों का आनुमानिक मूलधन		
(ii)यदि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) करारों के अंतर्गत निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते तो होनेवाली हानियां		
(iii) अदला-बदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा		

अपेक्षित संपार्श्विक जमानत		
(iv) अदला-बदली से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण $		
(v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य @		

टिप्पणी: ऋण तथा बाजार जोखिम पर सूचना सहित अदला-बदली की प्रकृति और शर्तों तथा अदला-बदली के अभिलेखन के लिए अपनायी गयी लेखा नीतियों को भी प्रकट करना चाहिए।

$ संकेद्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों में ऋणादि जोखिम अथवा अत्यधिक गतिशील कंपनियों के साथ
अदला-बदली हो सकते हैं।

@ यदि अदला-बदली विशेष आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़ी हुई हैं, तो तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक जो अनुमानित राशि प्राप्त करेगा या अदला-बदली करारों को समाप्त करने के लिए भुगतान करेगा, वह अनुमानित राशि उचित मूल्य होगी । लेनदेन अदला-बदली के लिए उचित मूल्य उसका बाज़ार मूल्य होगा ।

3.3.2 एक्सचेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	*विवरण*	*राशि*
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
(ii)	31 मार्च ------की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
(iii)	एक्सचेंज लेनदेन वाले बकाया तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है के ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	

(iv)	एक्सचेंज लेनदेन वाले बकाया तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है के ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ का बाज़ार मूल्य (मार्क-टू-मार्केट) (लिखत-वार) क) ख) ग)	

3.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकों को, डेरिवेटिव के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंध नीतियों की, विशेषकर किस सीमा तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित जोखिम क्या हैं और इससे पूरे होनेवाले व्यावसायिक प्रयोजनों की चर्चा करनी चाहिए। इस चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल हों :

क) डेरिवेटिव के व्यापार में जोखिम प्रबंध के लिए संरचना और संगठन,

ख) जोखिम प्रबंध, जोखिम रिपोर्ट करना तथा जोखिम निगरानी की प्रणालियों का व्यप्ति और प्रकृति,

ग) हेज़िग तथा/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां तथा प्रतिरक्षा (हेज)/जोखिम कम करने वाले प्रभावों की निरंतरता की निगरानी करने की विधियां,

घ) प्रतिरक्षा (हेज) तथा नॉन हेज लेनदेनों के अभिलेखन के लिए लेखा नीति; आय निर्धारण, प्रीमियम और डिस्काउंट्स, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा ऋण जोखिम कम करना।

मात्रात्मक प्रकटीकण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं	*विवरण*	*मुद्रा व्युत्पन्न*	*ब्याज दर व्युत्पन्न*
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए		
	ख) लेनदेन के लिए		
(ii)	बाज़ार दर से स्थिति [1]		
	क) आस्ति (+)		
	ख) देयता (-)		

(iii)	ऋण एक्सपोज़र [2]		
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर		
	ख) लेनदेन व्युत्पन्न पर		
(v)	वर्ष के दौरान देखे गये 100* पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	ख) लेनदेन पर		

3.4 **आस्ति गुणवत्ता**

3.4.1 **अनर्जक आस्ति**

(**राशि करोड़ रुपये में**)

विवरण	***चालू वर्ष***	***पिछला वर्ष***
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति (%)		
(ii) अनर्जक आस्तियों (सकल) का उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष		
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि		
(ग) वर्ष के दौरान कमी		
(घ) इति शेष		
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष		
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि		
(ग) वर्ष के दौरान कमी		
(घ) इति शेष		
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष		
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना /पुनरांकन		
(घ) इति शेष		

3.4.2 **पुनर्रचित खातों के ब्योरे**

(राशि करोड़ रुपये में)

		सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण पुनर्रचना	अन्य
पुनर्रचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			

टिप्पणी : बैंकों को जिन उधारकर्ताओं के खातों की पुनर्रचना की गयी है उनके सभी खातों/ऋण सुविधाओं की कुल बकाया राशि तथा ऋण सुविधा के पुनर्रचित अंश की बकाया राशि प्रकट करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी उधारकर्ता की केवल एक ऋण सुविधा/खाता को पुनर्रचित किया गया हो, तो बैंक को उस उधारकर्ता से संबंधित सभी ऋण सुविधाओं/खातों की संपूर्ण बकाया राशि प्रकट करनी चाहिए।

3.4.3 आस्तियों की पुनर्रचना हेतु प्रतिभूतीकरण /पुनर्रचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या (ii) एस सी/आर सी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) (iii) कुल प्रतिफल (iv) पिछले वर्षों में अंतरित किए गए खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल (v) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ /हानि		

3.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

जो बैंक अन्य बैंकों से अनर्जक वित्तीय आस्तियां खरीदते हैं उन्हें अपने तुलन पत्रों में लेखे पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

अ. *खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे*

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		
2. (क) इनमें से, वर्ष के दोरान पुनर्रचित खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		

आ. बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बेचे गये खातों की संख्या		
2. कुल बकाया		
3. प्राप्त कुल प्रतिफल		

3.4.5 मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान		

टिप्पणी : मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधानों को सकल अग्रिमों में से घटाने की आवश्यकता नहीं है परंतु उन्हें तुलनपत्र की अनुसूची सं. 5 में 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान-अन्य' के अंतर्गत 'मानक आस्तियों हेतु प्रावधान' के रूप में अलग से दर्शाया जाए।

3.5 कारोबारी अनुपात

	विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय **$**		
(ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय		
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ **$**		
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल @		
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम) # (करोड़ रुपये में)		
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ		

$ *वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत फार्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में कार्यकारी निधियों की गणना की जाए ।*

@ *'आस्तियों पर प्रतिफल' औसत कार्यकारी निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर आस्तियों का जोड़) के संदर्भ में होगा।*

 # प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) की गणना हेतु अंतरबैंक जमाराशियों को छोड़ दिया जाए।

3.6 आस्ति-देयता प्रबंधन

<u>आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

	दिन 1	*2 से 7 दिन तक*	*8 से 14 दिन तक*	*15 से 28 दिन तक*	*29 दिन से 3 माह तक*	*3 माह से अधिक तथा 6 माह तक*	*6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष तक*	*1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक*	*3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक*	*5 वर्ष से अधिक*	*कुल*
जमा											
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											
विदेशी मुद्रा देयताएं											

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र

(राशि करोड़ रुपये में)

	श्रेणी	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
क)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
	(i) आवासीय बंधक		
	आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता द्वारा अधिकार में ली गयी है या ली जाएगी या भाड़े पर दी गयी है, के बंधक द्वारा पूर्णत: जमानती उधार; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अन्तर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवासीय ऋणों को पृथक दर्शाया जाए)		
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन; फूटकर स्थान, बहु		

	उद्देशीय वाणिज्य परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदारों का वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास और निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा जमानती उधार। निवेश में गैर-निधिक आधारित (एन एफ बी) सीमाएं भी शामिल होंगी।		
	(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य जमा प्रतिभूतिकृत निवेश (एक्सपोज़र) क. आवासीय		
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश (एक्सपोज़र)		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के संबंध में निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश		

3.7.2 **पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र**

(राशि करोड़ रुपये में)

	विवरण	***चालू वर्ष***	***पिछला वर्ष***
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि पूरी तरह से कंपनी ऋण में निवेश नहीं की जाती है;		
(ii) (iii)	शेयरों (आइपीओ / इएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों /बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या निर्बंध आधार पर अग्रिम; किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों में परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल पंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;		
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम जिस सीमा तक वह शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की समपार्श्विक जमानत द्वारा जमानत प्राप्त है अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों /ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल पंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक		

	प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्ण जमानत प्रदान नहीं करती;		
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गयी गारंटियां		
(vi)	कंपनियों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनी की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूति की जमानत पर या निर्बंध आधार पर मंजूर ऋण;		
(vii)	संभावित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को पूरक ऋण ;		
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संदर्भ में बैंकों द्वारा किये गये हामीदारी वायदे;		
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों का वित्तपोषण ;		
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोज़रं		
	पूंजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र		

3.7.3 **जोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी एक्सपोज़र**

(राशि करोड़ रुपये में)

जोखिम श्रेणी*	***मार्च...... (चालू वर्ष) को एक्सपोज़र (निवल)***	***मार्च...... (चालू वर्ष) को धारित प्रावधान***	***मार्च...... (पिछले वर्ष) को एक्सपोज़र (निवल)***	***मार्च...... (पिछले वर्ष) को धारित प्रावधान***
महत्वपूर्ण नहीं				
निम्न				
सामान्य				
उच्च				
अति उच्च				
प्रतिबंधित				
ऋण रहित				
कुल				

* जब तक बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणाली नहीं अपनाते तब तक बैंक देश संबंधी जोखिम निवेश के लिए वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के प्रयोजन हेतु भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (इसीजीसी) द्वारा अपनाये जाने वाले सात श्रेणी के वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। इसीजीसी अनुरोध करने पर बैंकों को उनके देश संबंधी वर्गीकरण की तिमाही अद्यतन स्थिति प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश संबंधी वर्गीकरण में अचानक होनेवाले प्रमुख परिवर्तनों के बारे में सभी बैंकों को सूचित करेगा।

3.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के उल्लंघन के ब्योरे

वर्ष के दौरान जहां बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक ऋण दिया हो वहां वार्षिक वित्तीय विवरणों के 'लेखे पर टिप्पणियां' में बैंक को उचित प्रकटन करना चाहिए। स्वीकृत सीमाओं अथवा समग्र बकाया को, जो भी अधिक हो, निवेश सीमा के निर्धारण और प्रकटन के प्रयोजन के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।

3.7.5 बेज़मानती अग्रिम

पारदर्शिता को बढ़ाने की दृष्टि से तथा बैंकों के तुलनपत्र की अनुसूची 9 में बेज़मानती अग्रिमों की सही अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

क) प्रकाशित तुलनपत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए बेज़मानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक क्षेत्र की परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में जिन अधिकारों, लाइसेन्सो, प्राधिकारों पर बैंकों का ऋण भार सृजित किया गया हो, उन्हें मूर्त जमानत नहीं माना जाना चाहिए। अत: ऐसे अग्रिमों को बेजमानती माना जाना चाहिए।

ख) बैंकों को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि भी प्रकट करनी चाहिए जिनके लिए अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि पर ऋण भार सृजित करने जैसी अमूर्त जमानत ली गई हो तथा ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करना चाहिए। यह सूचना 'लेखे पर टिप्पणी' में अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए। इससे इन ऋणों को पूर्णत: बेजमानती ऋणों से अलग दर्शाया जा सकेगा।

3.8 रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण

वर्तमान में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के प्रावधान के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए, इस अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश, नियम अथवा शर्त के उल्लंघन के लिए वाणिज्य बैंक पर दंड लगाने का अधिकार रिज़र्व बैंक को है। विनियामक द्वारा लगाये गये दंडों के प्रकटन के संबंध में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बैंक पर लगाये गये दंडों के ब्योरे सार्वजनिक

माध्यम (पब्लिक डोमेन) पर देना निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में होगा। इसके अलावा निरीक्षण रिपोर्टों अथवा अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर की गयी तीखी टिप्पणियों अथवा निदेशों को भी सार्वजनिक माध्यम पर रखा जाना चाहिए। दंड को तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' में भी प्रकट किया जाना चाहिए।

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'लेखे पर टिप्पणियां' के लिए प्रकटीकरण मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं:

4.1 लेखा मानक 5 - पूर्व अवधि मदों का चालू वर्ष के निवल लाभ या हानि पर प्रभाव तथा लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन

चूँकि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत फार्म बी में निर्धारित लाभ-हानि लेखे के फार्मेट में चालू वर्ष के लाभ तथा हानि पर पूर्व अवधि मदों के प्रभावों के प्रकटन के लिए विशेष रूप में अपेक्षा नहीं की गयी है, अत: ऐसे प्रकटन, जहां-जहां अभीष्ट हो, तुलनपत्र के लेखे पर टिप्पणियों में किये जाएं।

4.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

इस मानक के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि 'लेखा संबंधी नीतियों का प्रकटन' (एएस 1) के संबंध में लेखा मानक 1 द्वारा अपेक्षित प्रकटन के अलावा किसी उद्यम द्वारा उन परिस्थितियों को भी प्रकट करना चाहिए जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के समाधान होने तक राजस्व निर्धारण आस्थगित किया गया है ।

4.3 लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ

आइसीएआइ द्वारा जारी 'कर्मचारी लाभ' एएस **15 (**संशोधित)के तहत विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का बैंक अनुसरण करें।

4.4 लेखा मानक 17 - खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग

उक्त लेखा मानक का अनुपालन करते समय, बैंकों को निम्नलिखित को अपनाना होगा :

क) व्यवसाय खंड को सामान्यत: मुख्य रिपोर्टिंग फॉर्मेट तथा भौगोलिक खंड को अनुषंगी रिपोर्टिंग फॉर्मेट समझा जाए।

ख) व्यवसाय खंड होंगे 'राजकोष', 'कारपोरेट/थोक बैंकिंग', 'खुदरा बैंकिंग' और 'अन्य बैंकिंग परिचालन'।

ग) 'देशी' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय' खंड, प्रकटीकरण के लिए भौगोलिक खंड होंगे।

घ) बैंक खंडों के बीच व्यय के विनियोजन के लिए तर्कसंगत तथा सुसंगत आधार पर अपनी खुद की पद्धतियां अपना सकते हैं।

लेखा मानक 17- खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए फॉर्मेट

भाग क - व्यवसाय खंड

(राशि करोड़ रुपये में)

व्यवसाय खंड →	राजकोष		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
परिणाम										
विनियोजित न किए गए व्यय										
परिचालन लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ / हानि										
निवल लाभ										
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां										
विनियोजित न की गयी आस्तियां										
कुल आस्तियां										
खंड देयताएं										
विनियोजित न की गयी देयताएं										
कुल देयताएं										

टिप्पणी : शेड किए गए भाग में कोई प्रकटीकरण न किया जाए ।

भाग ख - भौगोलिक खंड

(राशि करोड़ रुपये में)

	देशी		*अंतर्राष्ट्रीय*		*कुल*	
	वर्तमान वर्ष	*पिछला वर्ष*	*वर्तमान वर्ष*	*पिछला वर्ष*	*वर्तमान वर्ष*	*पिछला वर्ष*
राजस्व						
आस्तियां						

4.5 लेखा मानक 18 - संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

यह मानक संबद्ध पार्टी संबंधों तथा रिपोर्टिंग उद्यम और उससे संबद्ध पार्टियों के बीच लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए लागू किया जाता है। सामान्य स्पष्टीकरण (जीसी) 2/2002 के एक भाग के रूप में आइसीआइए द्वारा संस्तुत निदर्शी प्रकटीकरण फॉर्मेट को बैंकों हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उचित रूप से आशोधित किया गया है। एएस 18 के लिए बैंकों द्वारा प्रकटीकरण का निदर्शी फॉर्मेट नीचे प्रस्तुत है :

<u>लेखा मानक 18 - संबद्ध पार्टी प्रकटीकरणों के लिए फॉर्मेट</u>

एएस 18 के पैराग्राफ 23 तथा 26 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों की पद्धति नीचे दी गयी है। यह नोट किया जाए कि फॉर्मेट परिपूर्ण नहीं है बल्कि केवल निदर्शी है।

(राशि करोड़ रु पये में)

मद / संबंधित पार्टी	**मूल कंपनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)**	**अनुषंगी कंपनियां**	**सहयोगी / संयुक्त उद्यम**	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक @**	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार**	**कुल**
उधार #						
जमाराशि #						
जमाराशियों का नियोजन						
अग्रिम #						
निवेश #						
गैर-निधिक वचनबद्धताएं						
उपयोग में लायी गयी पट्टादायी/एचपी व्यवस्थाएं #						

प्रदान की गयी पट्टादायी / एचपी व्यवस्थाएं						
अचल आस्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों की बिक्री						
प्रदत्त ब्याज						
प्राप्त ब्याज						
सेवाएं प्रदान करना *						
सेवाएं प्राप्त करना *						
प्रबंधन संविदाएं						

टिप्पणी :जहां संबद्ध पार्टी की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही कंपनी है, वहां बैंकों को उस संबद्ध पार्टी के संबंध में, उस संबद्ध पार्टी के साथ के रिश्ते के अलावा कोई ब्यौरे प्रकट करना आवश्यक नहीं है ।

* संविदा सेवाएं आदि शामिल हैं तथा विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं शामिल नहीं हैं।

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक तथा भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वर्ष के अंत में बकाया शेष तथा वर्ष के दौरान अधिकतम को प्रकट किया जाए ।

<u>संबद्ध पार्टियों के नामों तथा बैंक के साथ उनके रिश्ते का निदर्शी प्रकटीकरण</u>

1. मूल	ए लि.
2. अनुषंगी कंपनियां	बी लि. तथा सी लि.
3. सहयोगी	पी लि. क्यू लि. तथा आर लि.
4. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी	एल. लि.
5. मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री एम तथा श्री एन
6. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार	श्री डी तथा श्री ई

4.6 **लेखा मानक** 21 - **समेकित वित्तीय विवरण**

बैंक, समेकित वित्तीय विवरणों पर 'लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरणों के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरणों का अनुसरण करें ।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी सभी अनुषंगी कंपनियों - एएस-21 के अंतर्गत छोड़ने के लिए विशिष्ट रूप से अनुमत कंपनियों को छोड़कर, देशी तथा विदेशी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित करेगी। किसी अनुषंगी कंपनी का समेकन न किये जाने के कारण समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट

किये जाने चाहिए। किसी विशिष्ट कंपनी को समेकन में शामिल करना है अथवा नहीं, इस पर निर्णय लेने का दायित्व मूल कंपनी के प्रबंध तंत्र का होगा। यदि, उस कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की यह राय है कि जिस कंपनी को समेकित करना आवश्यक था उसे छोड़ दिया गया है, तो इस संबंध में वे अपने अभिमत टिप्पणियाँ "लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट" में शामिल करें।

4.7 लेखा मानक 22 - आय पर करों के संबंध में लेखांकन

यह मानक आय पर करों के संबंध में लेखांकन के लिए लागू किया जाता है। इसमें लेखा अवधि के संबंध में आय पर करों से संबंधित व्यय अथवा बचत की राशि का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों में ऐसी राशि का प्रकटीकरण शामिल है। एएस 22 को अपनाने से बैंकों की लेखा बहियों में या तो आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) अथवा आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का निर्माण हो सकता है तथा डीटीए अथवा डीटीएल के निर्माण से कुछ ऐसे मुद्दे उत्पन्न होंगे जिनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना तथा लाभांश घोषित करने की बैंक की क्षमता पर असर पड़ेगा। इस संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

- लेखा मानक 22 को लागू करने के पहले दिन राजस्व आरक्षित निधियों के अथशेष में अथवा चालू वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे डालकर निर्माण की गयी डीटीएल को तुलन पत्र में अनुसूची 5 - 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' की मद (vi) 'अन्य (प्रावधानों सहित)' के अंतर्गत शामिल किया जाए। डीटीएल खाते में जमा शेष, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I अथवा टियर II पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि वह पूंजी की पात्र मद नहीं है।
- लेखा मानक 22 को लागू करने के पहले दिन राजस्व आरक्षित निधि के अथशेष में जमा करके अथवा चालू वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा में जमा करके निर्माण की गयी डीटीए को तुलन पत्र में अनुसूची 11 'अन्य आस्तियां' की मद (vi) 'अन्य' में शामिल किया जाए।
- निम्नलिखित रीति से डीटीए की गणना करने के बाद उसे टीयर I पूंजी से घटाया जाए :

  i) संचित हानि से संबद्ध डीटीए; तथा

  ii) डीटीए (संचित हानि से संबद्ध डीटीए को छोड़कर), जिसमें से डीटीएल को घटाया गया हो। जहां डीटीएल डीटीए (संचित हानि से संबद्ध डीटीए को छोड़कर) से अधिक हो, वहां अतिरिक्त राशि को न तो मद (i) से समायोजित किया जाएगा और न टीयर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

4.8 **लेखा मानक** 23 - **समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के लिए लेखांकन**

यह लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के समूह की वित्तीय स्थिति तथा परिचालनगत परिणामों पर होनेवाले प्रभावों के निर्धारण के लिए सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों को स्थापित करता है। कोई बैंक अपने अग्रिमों की चुकौती सुनिश्चित करने की दृष्टि से उधारकर्ता कंपनी में 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकार अर्जित कर सकता है तथा वह यह सिद्ध कर सकता है कि उसके पास उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग करने की शक्तियां नहीं हैं क्योंकि उसके द्वारा प्रयुक्त अधिकार संरक्षी स्वरूप के हैं न कि सहभागी स्वरूप के । ऐसी परिस्थिति में इस लेखा मानक के अंतर्गत ऐसे निवेश सहयोगी कंपनी में निवेश के रूप में नहीं समझा जाए। अत: इसकी कसौटी केवल निवेश का परिमाण नहीं बल्कि उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग करने के लिए शक्ति अर्जित करने का इरादा होना चाहिए ।

4.9 लेखा मानक 24 - **परिचालन समाप्त करना**

उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलयन/बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलयन/बंद किये जाने पर लागू नहीं होगा ।
इस मानक के अंतर्गत प्रकटीकरण केवल तब आवश्यक होंगे जब :

क) परिचालन की समाप्ति के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा आस्तियों की प्राप्ति तथा देयताओं में कटौती हुई है अथवा
किसी परिचालन को समाप्त करने के निर्णय, जिससे उपर्युक्त प्रभाव होगा, को बैंक ने अंतिम रूप दिया है तथा

ख) समाप्त परिचालन अपनी संपूर्णता में महत्वपूर्ण है ।

4.10 लेखा मानक 25 - **अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग**

सेबी के साथ विचार-विमर्श करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 17 मई 2001 के परिपत्र बैंपर्यवि. एआरएस सं. बीसी. 13/08.91.001/2000-01 द्वारा निर्धारित अर्ध वार्षिक समीक्षा को प्रकटीकरणों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी बैंक (सूचीबद्ध तथा गैर-सूचीबद्ध दोनों) पर लागू किया गया है। बैंक इस प्रयोजन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्मेट अपनाएं।

4.11 अन्य लेखा मानक

बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विभिन्न लेखा मानकों के अंतर्गत निर्धारित प्रकटीकरण मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है ।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों को पठनीय बनाने के लिए तथा सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के संबंध में सूचना एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे 'लेखे पर टिप्पणियां' में निम्नलिखित सूचना प्रकट करे :

लाभ -हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान और आकस्मिकताएं' के ब्यौरे	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
अनर्जक आस्ति हेतु प्रावधान		
आयकर हेतु किया गया प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)		

5.2 अस्थायी प्रावधान

बैंकों को तुलन पत्र में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित के संबंध में अस्थायी प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रकटीकरण करना चाहिए **:**

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष,		
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा,		
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गयी कमी की राशि		
(घ) अस्थायी प्रावधान खातें में इति शेष।		

टिप्पणी **:** लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गयी कमी के प्रयोजन का उल्लेख किया जाए।

5.3 आरक्षित निधि में कमी

आरक्षित निधि में कोई कमी (ड्रा डाउन) हुई हो तो उसका तुलनपत्र में 'लेखे पर टिप्पणियां' में उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाए।

5.4 शिकायतों का प्रकटीकरण

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ निम्नलिखित के संक्षिप्त ब्यौरे प्रकट करें :

अ. <u>ग्राहक शिकायतें</u>

(क)	वर्ष के प्रारंभ में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की संख्या	
(घ)	वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	

आ. <u>बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय</u>

(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या	
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	

5.5 बैंकों द्वारा जारी आश्वासन पत्रों (लेटर ऑफ कम्फर्ट)का प्रकटीकरण

बैकों को अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियों' के भाग के रूप में उनके द्वारा वर्ष के दौरान जारी सभी आश्वासन पत्रों का पूर्ण विवरण , उनका अनुमानित वित्तीय प्रभाव तथा उनके द्वारा अतीत में जारी तथा अभी भी बकाया आश्वासन पत्रों के अन्तर्गत उनके अनुमानित संचयी वित्तीय दायित्व का प्रकटीकरण करना चाहिए।

5.6 प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर)

तुलन पत्र के लेखे पर टिप्पणी में पीसीआर (सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रपवधानीकरण का अनुपात) प्रकट किया जाना चाहिए ।

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार

31 मार्च **2010** को समाप्त वर्ष से बैंकों को 'लेखे पर टिप्पणी' में उनके द्वारा किये गये बैंक एश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के ब्यौरे प्रकट करने चाहिए।

5.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़रों और एनपीए का संकेंद्रण

5.8.1 जमाराशियों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	

5.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण *

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	

* अग्रिमों की गणना एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर 01 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 15/13.03.00/2009-10 के अंतर्गत डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोज़र की दी गई परिभाषा के अनुसार की जानी चाहिए।

5.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण**

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोज़र	
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोज़र का प्रतिशत	

** एक्सपोज़र की गणना एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर के अंतर्गत निर्धारित ऋण और निवेश एक्सपोज़र के आधार पर की जानी चाहिए।

5.8.4 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एक्सपोज़र	

5.9 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

क्रमांक	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	
2	उद्योग (माइक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	
3	सेवाएं	
4	वैयक्तिक ऋण	

5.10 अनर्जक आस्तियों में घटबढ़

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	
किसी वर्ष में **1** अप्रैल को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	
वर्ष के दौरान वृद्धि (नये एनपीए)	
उप जोड़ (क)	
घटाएं	
(i) अपग्रेडेशन	
(ii) वसूली (अपग्रेड किये गये खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	
(iii) बट्टे खाते डालना	
उप जोड़ (ख)	
परवर्ती वर्ष के ' मार्च को सकल एनपीए (इति शेष) (क - ख)	

- 24 सितंबर 2009 के बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 46/21.04.048/2009-10 के अनुबंध की मद **2** के अनुसार सकल एनपीए

5.11 विदेश स्थित आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	
कुल आस्तियां	
कुल एनपीए	
कुल राजस्व	

5.12 प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी

(जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसारा समेकित किया जाना चाहिए)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

देशी	विदेश स्थित

5.13 अपरिशोधित पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं

पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयता व्यय के परिशोधन के संबंध में अपनाई जाने वाली लेखापद्धति नीति का समुचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत किया जाए।

5.14 पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों (जहाँ तक उनपर लागू हो) को सूचित किया जाता है कि वे अपने लेखे पर टिप्पणियों में निम्नलिखित सूचना प्रकट करें।

गुणात्मक प्रकटीकरण	(क)	पारिश्रमिक समिति के गठन और मैंडेट के संबंध में सूचना
	(ख)	पारिश्रमिक प्रक्रिया के डिजाइन और संरचना तथा पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य से संबंधित सूचना
	(ग)	पारिश्रमिक प्रक्रिया में वर्तमान और भावी जोखिमों को किस प्रकार शामिल किया गया, इसका वर्णन । इसमें इन जोखिमों को पारिश्रमिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण मापों की प्रकृति और प्रकार का भी वर्णन होना चाहिए ।
	(घ)	बैंक किसी कार्यनिष्पादन प्रक्रिया अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को

		पारिश्रमिक के स्तर से किस प्रकार संबद्ध करना चाहता है - इसका वर्णन।		
	(च)	आस्थगित भुगतान पर बैंक की नीति तथा परिवर्तनशील पारिश्रमिक की वेस्टिंग पर चर्चा तथा वेस्टिंग के पहले और बाद में आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के संबंध में बैंक की नीति और मानदंड पर चर्चा ।		
	(छ)	बैंक द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकार (अर्थात् नकदी, शेयर, इसोप और अन्य रूप) तथा इन प्रकारों का प्रयोग करने के पीछे तर्क ।		
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संख्यात्मक प्रकटीकरण (संख्यात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशकों /मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जोखिम लेने वाले अन्य कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए)	(ज)	पारिश्रमिक समिति द्वारा वित्त वर्ष के दौरान की गयी बैठकों की संख्या तथा उसके सदस्यों को अदा किया गया पारिश्रमिक		
	झ	• वित्त वर्ष के दौरान परिवर्तनशील पारिश्रमिक अवार्ड पानेवाले कर्मचारियों की संख्या । • वित्त वर्ष के दौरान साइन-ऑन अवार्ड पाने वालों की संख्या और कुल राशि । • कार्यग्रहण/साइन-ऑन बोनस के रूप में अदा किये गये गारंटीकृत बोनस के ब्योरे । उपचित लाभ के अतिरिक्त पृथक्करण वेतन के ब्योरे, यदि कोई हो ।		
	ट	• बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि तथा नकदी, शेयर, शेयर से जुड़े अन्य लिखत और अन्य रूपों में उस राशि का विभाजन । • वित्त वर्ष के दौरान अदा किये गये आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि ।		
	ठ	• वित्त वर्ष के दौरान पारिश्रमिक अवार्ड के ब्यौरे, जिसमें नियत, परिवर्तनशील, आस्थगित और		

		अनास्थगित अंश दर्शाये जाएं ।		
	ड	• बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि जो घटना के बाद व्यक्त और/या अव्यक्त समायोजन के अधीन है । • वित्त वर्ष के दौरान घटना के बाद व्यक्त समायोजन के कारण की गयी कटौती की कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान घटना के बाद अव्यक्त समायोजन के कारण की गयी कटौती की कुल राशि ।		

5.15 प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

ओरिजिनेटिंग बैंकों के लेखे पर टिप्पणियों में बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों तथा तुलनपत्र की तिथि के अनुसार बैंक द्वारा धारित एक्सपोजरों की कुल राशि निर्दिष्ट होनी चाहिए ताकि न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर) का अनुपालन हो | ये आंकड़े ओरिजिनटिंग बैंक द्वारा एसपीवी से प्राप्त सूचना पर आधारित होने चाहे, जिसे एसपीवी के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो | ये प्रकटीकरण निम्नलिखित फॉर्मेट में किए जाने चाहिए |

क्र.	**ब्यौरा**	**सं./राशि करोड़ रूपये में**
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की सं.*	
2.	बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत अस्तियों की कुल राशि	
3.	तुलनपत्र की तारीख को एम आर आर के	

	अनुपालन के लिए बैंक द्वारा धारित एक्स्पोज़र की कुल राशि.		
	क)	तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
	ख)	तुलपत्र में दर्शाया गया एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
4.	एम आर आर को छोड़कर अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के प्रति एक्स्पोज़र की राशि		
	क)	तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र	
		i) अपने प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
		ii) थर्ड पार्टी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
	ख)	तुलनपत्र में दर्शाया गया एक्सपोजर	
		i) अपने प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
		ii) थर्ड पार्टी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	

*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी के बारे में ही सूचना दी जाए।

5,16 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

सीडीएस के मूल्य-निर्धारण के लिए स्वामित्व मोडेल का प्रयोग करने वाले बैंक लेखे पर टिप्पणियों में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार स्वामित्व मोडेल मूल्य और मानक मोडेल मूल्य – दोनों प्रकट करें और एक मोडेल के बजाय दूसरे मोडेल के प्रयोग के औचित्य को भी स्पष्ट करें।

अनुबंध

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र की संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
1.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 78/ सी.686-91	06 फरवरी 1991	3, 4	तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा का संशाधित फॉर्मेट	2
2.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/ सी.686-91	28 फरवरी 1991	सभी	लेखा नीतियां - बैंकों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता	2
3.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/ 21.04.048/97	21 मई 1997	1, 2, 3	बैंकों के तुलन पत्र -प्रकटीकरण	3.1(i)(iv) (v); 3.2. (1): 3.4.1 (i)3.8.1
4.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.018/98	27 जनवरी 1998	2	बैंकों के तुलन पत्र -प्रकटीकरण	3.1 (ii)(iii) 3.5. (i) से (iv)
5.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 32/ 21.04.018/98	29 अप्रैल 1998	(ii)(क) (ख)	पूंजी पर्याप्तता - तुलनपत्रों में प्रकटीकरण	3.5 (i) से (vi)
6.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.018/99	10 फरवरी 1999	3, 4,	बैंकों के तुलन पत्र - जानकारी का प्रकटीकरण	3.4.1 (ii)(iii); 3.6
7.	एमपीडी. बीसी. 187/ 07.01.279/1999-2000	7 जुलाई 1999	1, अनुबंध 3(v)	वायदा दर करार /ब्याज दर स्वैप	3.3.1
8.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 164/ 21.04.048/2000	24 अप्रैल 2000	3	पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड	3.4.4
9.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/ 21.04.018/ 2000-01	30 जनवरी 2001	2.6	स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) व्यय - लेखा तथा विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार	4.3
10.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 27/21.04.137/2001	22सितंबर 2001	6	मार्जिन जमा व्यापार के लिए बैंक वित्तपोषण	3.7.2(vi)
11.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.04.018/2001-02	27 अक्तूबर 2001	2(i)(ii)	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय- वर्ष 2001-02 के लिए	3.2(2); 3.4.1 (iv)

				मध्यावधि समीक्षा -तुलनपत्र प्रकटीकरण	
12.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 65/23.10. 015/ 2001-02	14 फरवरी 2002	1,10	टियर II पूंजी में सम्मिलित करने के लिए अधीनस्थ ऋण- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में मुख्यालय उधार	3.1 स्पष्टीकरण
13.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 84/21.04.018/2001-02	27 मार्च 2002	2	बैंकों का तुलन पत्र - जानकारी का प्रकटीकरण	3.2 (2)
14.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/21.04. 132/2002-03	05 फरवरी 2003	1, अनुबंध 6	कार्पोरेट ऋण पुनर्रचना (सीडीआर)	3.4.2
15.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/ 21.04.103/2002-03	19 फरवरी 2003	1 अनुबंध 24 (क) ख)	भारत में कार्यरत बैंकों द्वारा देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	3.7.3
16.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/ 21.04.018/2001-02	25 फरवरी 2003	16	समेकित पर्यवेक्षण की सहायता के लिए समेकित लेखा तथा अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के लिए दिशानिर्देश	4.6
17.	आइडीएमसी. 3810/ 11. 08. 10/2002-03	24 मार्च 2003	1,5(v)	रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखा के लिए दिशानिर्देश	3.2.1
18.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.018/2002-03	29 मार्च 2003	4.3.2, 5.1, 6.3.1, 7.3.2, 8.3.1	बैंकों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन पर दिशानिर्देश	4.1 से 4.5
19.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/2002-03	23 अप्रैल 2003	1, अनुबंध 6	एससी/आरसी (सरफेसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्मित) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री तथा संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश	3.4.3
20.	आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03	03 जून 2003	4(x)	एक्स्चेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज पर दिशानिर्देश	3.3.2
21.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	12 नवंबर	परिशिष्ट	सांविधिक चलनिधि अनुपात	3.2.2

	44/ 21.04.141/2003-04	2003	11 (4)	से इतर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड	
22.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 82/ 21.04.018/2003-04	30 अप्रैल 2004	4.3.2	बैंकों द्वारा लेखा मानको के अनुपालन पर दिशानिर्देश	4.9
23.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100/ 21.03.054/ 2003-04	21 जून 2004	2(v)	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा ऋण आदि जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं	3.7.4
24.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 49/21.04.018/2004-05	19 अक्तूबर 2004	5	प्रकटीकरण के माध्यम से बैंकों के मामलों में पारदर्शिता में वृद्धि	3.8.2
25.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/ 21.04.018/2004-05	03 मार्च 2005	अनुबंध	डेरिवेटिव्ज में जोखिम निवेश पर प्रकटीकरण	3.3.3
26.	डीबीएस. सीओ. पीपी. बीसी. 21/11.01.005/ 2004-05	29 जून 2005	2. (क) (ख)	स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश	3.7.1
27.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 1.04.04/2005-06	13 जुलाई 2005	7	खरीदी / बेची गयी अनर्जक आस्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश	4.12.1
28.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 86/21.04.018/2005-06	29 मई 2006	3	तुलन पत्रों में प्रकटीकरण - प्रावधान और आकस्मिकताएं	4.12.1
29.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.048/2005-06	22 जून 2006	2.(iv)	अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग के सबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	4.12.2
30.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 86/ 21.04.018/2005	20 सितंबर 2006	3.(iii)	बैंककारी विनियमन अधिनियिम, 1949 की धारा 17(2)- आरक्षित निधि से विनियोग	4.12.3
31.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.07.05/ 2006-07	15 दिसंबर 2006	2.1	पूंजी बाज़ार को बैंकों का एक्सपोजर - मानकों को युक्तिसंगत बनाना	3.7.2
32.	बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 60/09.07.005/2006-07	22 फरवरी 2007	3.	शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटीकरण - वित्तीय परिणामों सहित शिकायतों का प्रकटीकरण / कार्यान्वित न किये गये बैंकिंग लोकपाल के	4.12.4

				अधिनिर्णय	
33.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81/ 21.04.018/2006-07	18 अप्रैल 2007	4	दिशानिर्देश - लेखा मानक 17 (खंड रिपोर्टिंग) - प्रकटीकरणों में वृद्धि	4.4
34.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/ 20.06.001/2006-07	27 अप्रैल 2007	10	नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे का कार्यान्वयन	
35.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/ 21.04.009/2007-08	4 मार्च 2008	2(iv)	बैंकों द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों के संबंध में आश्वासन पत्र जारी करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	4.12.5
36.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04. 132/2008-09	27 अगस्त 2008	अनुबंध 3	बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	3.4.2
37.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 124/21.04.132/2008-09	17 अप्रैल 2009	अनुबंध	अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	3.4.2
38.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 125/ 21.04.048/2008-09	17 अप्रैल 2009	2	बेजमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	3.7.5
39.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 64/21.04.048/ 2009-10	1 दिसंबर 2009	5	वर्ष **2009-10** की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा	5.6
40.	बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 67 / 24.01.001/ 2009-10	7 जनवरी 2010	2	तुलन पत्र में प्रकटीकरण - बैंक एश्योरेंस कारोबार	5.7
41.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 79/ 21.04.018/2009-10	15 मार्च 2010	अनुबंध	लेखे पर टिप्पणियों में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण	5.8
42.	आइडीएमडी/4135/ 11.08.43/ 2009-10	23 मार्च 2010	9	रिपो रिवर्स रिपो लेनदेनों के लेखांकन के लिए दिशानिर्देश	3.2.1
43.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.141/2010-11	1 अगस्त 2010	3	परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री	3.2.3
44.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 56/ 21.04.141/2010-11	1 नवंबर 2010	1	परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री	3.2.3
45.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 80/ 21.04.018/2010-11	9 फरवरी 2011	4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पेंशन का विकल्प पुन:खोलना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) सीमाओं में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक	5.13

				व्यवहार	
46	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.72/29.67.001/2011-12	13 जनवरी 2012	ख.3.2	पूर्ण कालिक निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / जोखिम और नियंत्रण आदि से जुड़े स्टाफ के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश	5.14
47	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी - 103/21.04.177/2011-12	7 मई 2012	1.6.2	प्रतिभूतीकरण लेनदेन संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन	5.15
48	आईडीएमडी.पीसीडी.सं. 5053 /14.03.04/2010-11	23 मई 2011	2.14.3	कार्पोरेट बाडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप संबंधी दिशानिर्देश	5.16